Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding reservation to Maratha Community in Maharashtra.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। पिछले एक साल में शांतिपूर्वक 58 आन्दोलन मराठा समाज ने महाराष्ट्र में किए, जिसकी प्रशंसा पूरे जग ने की, लेकिन तब भी स्टेट गवर्नमेंट ने उस समाज की मांगों की तरफे देखा तक नहीं। आज परिस्थिति यह है कि एक महीने से जो आन्दोलन चल रहा है, वह बेकाबू हो गया है। पहले मराठा क्रान्ति मोर्चा का 'मूक आन्दोलन' चल रहा था और अभी 'ठोक आन्दोलन' चालू है। उसके ऊपर कोई नेता भी नहीं है। अगर कोई नेता अन्दर गए तो पब्लिक, जो बेरोजगार लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, वे सुनने को भी तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार हतबल हो चुकी है, महाराष्ट्र की सभी पार्टियां हतबल हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में सोशल वर्क करने वाले सभी नेता लोग हतबल हो चुके हैं और यह आन्दोलन अब किसी के हाथ में नहीं रहा। इसके लिए मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि केन्द्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। आरक्षण किसलिए देना है? आरक्षण उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर है, ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन जैसे-जैसे जमाना बदलता है, वैसे-वैसे इसमें कुछ बदलाव करने की, एकाध उपबन्ध जोड़ने की आवश्यकता होती है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, उसे सीमित रखते हुए, इनको कैसे आरक्षण दिया जाए, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। यह काम लोक सभा और राज्य सभा के अलावा किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता है। मेरी आपसे विनती है कि जो हो सकता है, वह करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, एक अत्यंत महत्व का मुद्दा है। आज तक जिन-जिन लोगों को, जिन-जिन कास्ट्स को आरक्षण दिया गया है, उसमें बाप को आरक्षण मिला, बच्चे को आरक्षण और उसके बच्चे को आरक्षण मिल रहा है। अब उनका सामाजिक स्तर बहुत बढ़ गया है। उनको जितने प्रतिशत आरक्षण मिला है, उसमें कटौती कीजिए और बाकी लोगों को भी दीजिए। सभी समाज में गरीब लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात आ गई है। बैठ जाइए।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।